कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून/टिहरी गढवाल।

पत्रांकः न–9/स्कू0भ0मा0–T-PO-23-2021 दिनांकः अप्रैल 03 2021

सेवा में,

प्रधानाचार्य
राजकीय इण्टर कालेज
चमराड़ा देवी, भरपूर
जनपद–टिहरी गढ़वाल

महोदय,

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एंव आपात सेवा उत्तराखण्ड़ की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 74674886 दिनांक 31.03.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चमराड़ा देवी, भरपूर जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्मित राजकीय इण्टर कालेज भवन (ATAL UTKRISHT RAJKIY INTER COLLEGE) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत शैक्षणिक भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 03.04.2021 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत स्थल/परिसर से आंशिक रुप से हाईटेंशन लाईन गुजर रही है। विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।
3. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत स्कूल भवन 05 ब्लॉक भूतल में निर्मित है। जिसमें कुल 17 कक्ष है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत स्कूल भवन परिसर में पानी के 02 अदद टैंक (03 हजार लीटर एवं 08 हजार लीटर क्षमता) का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त स्कूल परिसर में 03 माह के अन्तर्गत निम्नांकित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने आवश्यक हैः–

1. प्रश्नगत स्कूल परसिर में स्थित पानी टैंक में फायर स्टेटिक टैंक पर फायर ड्रा आउट तथा फायर इनलेट सिस्टम का प्राविधान किया जाए।
2. प्रश्नगत स्कूल परिसर में टैरिस टैंक से सम्बद्ध डाउन कमर पर होजरील का प्राविधान इस प्रकार किया जाए जो कि प्रत्येक ब्लॉक के भवनों के प्रत्येक तल के प्रत्येक स्थान को कवर कर सके।
3. प्रश्नगत स्कूल परिसर में मेनुवली ओपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम (एम0सी0पी0) का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
4. प्रश्नगत स्कूल भवन के प्रत्येक तल पर निर्दिष्ठ स्थानों पर मानको के अनुसार प्राथमिक अग्निशामकों (फायर एक्सटिंग्यूशरों) का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
5. प्रश्नगत शैक्षणिक भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
6. प्रश्नगत स्कूल भवन मे फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–101, 01378–227255 एंव पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर–100, 112 एवं एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं0–108 अंकित किया जाना आवश्यक है।
7. प्रश्नगत स्कूल भवन के निकास मार्ग/सैट बैक को सदैव अवरोध रहित रखा जाना आवश्यक है।
8. प्रश्नगत शैक्षणिक भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार चमराड़ा देवी, भरपूर जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्मित राजकीय इण्टर कालेज भवन (ATAL UTKRISHT RAJKIY INTER COLLEGE) हेतु उपरोक्त शर्तो के आधार पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नही है। वशर्ते शैक्षणिक भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रधानाचार्य प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चत करेंगें। भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रधानाचार्य को उक्त भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन एवं आपात सेवा, टिहरी गढ़वाल से करवाकर उक्त व्यवस्था का कार्यशील होने का प्रमाण पत्र (Annual Clearance) अवश्य लेना होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों कों रखेगें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आर0 एस0 ....)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून/टिहरी।